

tonne of fish in 50 sq. m/yr); 500 kg./ha/8 months of giant prawn in treated sewage-fed fish ponds; about 1 tonne/ha/yr in managed ox-bow lakes; 50 to 80 kg. fish/ha/yr in well managed large reservoirs; 7.8 tonnes/ha/5 months for magur; 7 tonnes/ha/5 months for singhi have been achieved. In addition, the Institute has made a breakthrough in breeding Indian and exotic carps during off season and breeding of Indian carps in upland waters. Success has also been achieved in mahasser breeding and seed production.

(c) Carp polyculture technology developed by the Central Inland Fisheries Research Institute can be adopted in an estimated 1.6 million hectare water area for small and large ponds and tanks in sizes ranging upto 20 hectares and an average yield of 3 tonnes/ha can be easily achieved at farmers level.

Many of the technologies developed by the Institute are presently implemented by the States through FFDAs, IRDP, TRYSEM etc. Government of India has also developed carp hatcheries and augmented areas under fish seed farms for enhanced production of quality seed to meet the emerging demands of intensive fish culture through World assisted inland fisheries project and under Centrally sponsored schemes.

129 Fish Farmers' Development Agencies have been established to transfer intensive fish farming technology developed by inland fishery scientists to fish farmers. These agencies so far have brought 52,641 ha under fish farming giving an average production of 681 kg/ha. These agencies have trained 42,475 fish farmers in intensive fish farming.

श्री बी० वी० देसाई: अध्यक्ष महोदय, मैं शाकाहारी हूँ इसलिए मछली के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। यदि पी एम सईद साहब यहां पर उपस्थित रहे होते तो अधिक अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय: बहुत से शाकाहारी भी मछली खाते हैं।

श्री बी० वी० देसाई: मछली को जल तराई भी कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से जो छोटे फार्मर्स हैं जो लीज पर पाण्ड्स लेकर फिश फार्मिंग करते हैं वे जब बैंकों के पास या दूसरी जगह लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनसे सिक्योरिटी मांगी जाती है। पांच हजार तक के लोन के लिए सिक्योरिटी की मांग नहीं होनी चाहिये। इस सिलसिले में क्या माननीय मन्त्री जी जानकारी देंगे कि जो ऐसे फार्मर्स हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है सिक्योरिटी देने की और जो पाण्ड्स लीज पर लेकर फिशिंग करना चाहेंगे, उनको बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स से बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जायेगा?

श्री योगेन्द्र मकवाना: फिश फार्मर्स डेवलप-मेंट एजेंसीज जहां जहां पर हैं वहां बैंकों से लोन दिलवाने का प्राविजन है और फिशरमेन को लोन दिलवाते भी हैं।

मछुओं के कल्याण के लिए विदेशी सहायता

*871. श्री जयपाल सिंह कश्यप: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत को मछुओं की दशा सुधारने और मछली उत्पादन के विकास के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) सरकार ने इस सहायता का किस प्रकार उपयोग किया है और तत्संबंधी पूर्ण विवरण क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (ख) एक विवरण सभा-घटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मात्स्यकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त बहु-पक्षीय सहायता की राशि और इसके उपयोग का व्यौरा नीचे दिया गया है: --

1. विश्व बैंक परियोजना

(1) समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजना, आन्ध्र प्रदेश

अक्टूबर, 1978 में इस परियोजना के प्रारम्भ से फरवरी, 1984 तक लगभग 80 लाख अमरीकी डालर का विश्व बैंक (अन्तर-राष्ट्रीय विकास एजेन्सी) ऋण प्राप्त हुआ है। गत तीन वर्षों के आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

1981-82	27.1 लाख अमरीकी डालर
1982-83	18.8 लाख अमरीकी डालर
1983-84 (29-2-84 तक)	9.9 लाख अमरीकी डालर

विशाखापतनम स्थित मत्स्यन बन्दरगाह का लगभग 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा काकीनादा और निजामापतनम का 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। दस पहुंच मार्ग तैयार हो चुके हैं और 12 निर्माणाधीन हैं। 117 पंजीकृत मत्स्यन जलयान किसानों में वितरित किये गये हैं। दो लकड़ी के हुल डिम्प ट्रालरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2) समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजना, गुजरात

यह परियोजना जुलाई 1977 में आरम्भ की गयी थी और जनवरी, 1984 तक विश्व बैंक ऋण के रूप में लगभग 140 लाख अमरीकी डालर की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। तथापि, गत तीन वर्षों के लिए आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

1981-82	38.5 लाख अमरीकी डालर
1982-83	18.9 लाख अमरीकी डालर
1983-84 (29-2-1984 तक)	6.0 लाख अमरीकी डालर

बेगवल और मंगोल स्थित मत्स्यन बन्दरगाहों का लगभग 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 137 पंजीकृत मत्स्यन जलयान तथा 428 आउट बोर्ड मोटर्स मछुआरों को वितरित किये जा चुके हैं; तीन अपवारित ट्रक

खरीदे गये हैं। जाल बनाने वाली दो मशीनें भी अधिष्ठापित की गई हैं।

समेकित अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना

विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी) से वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 के दौरान प्राप्त ऋण क्रमशः लगभग 4.6 लाख अमरीकी डालर, 8.2 लाख अमरीकी डालर तथा 10.2 लाख अमरीकी डालर था। प्राप्त की गयी सहायता की राशि का उपयोग केन्द्रीय सरकार तथा परियोजना राज्यों द्वारा किया गया। राज्यों ने यह सहायता मछली तालाब के लिए ऋण पर हेचरियों, सम्पर्क सड़कों के निर्माण, इन्फ्रामेन्टल कर्मचारियों; 82 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों के अन्तर्गत वाहनों, तथा विस्तार कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने पर प्रयोग की है। भारत सरकार ने यह धनराशि अखिल भारतीय अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन सर्वेक्षण, राजस्थान में जलाशय मात्स्यकी सम्बन्धी मार्गदर्शी परियोजना जैसी परियोजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायता घटकों तथा परामर्शदायी सेवाओं सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए प्रयोग की है।

2. खाद्य एवं कृषि संगठन तकनीकी सहयोग कार्यक्रम परियोजनाएं

(1) फेर्रोसीमेंट नौकाओं का निर्माण :

यह परियोजना हाल ही में शुरू हुई है। नवम्बर, 1983 से 7000 अमरीकी डालर की राशि खर्च किये जाने का अनुमान है। यह धनराशि मुख्य रूप से प्रारंभिक परामर्शदायी और प्राथमिक व्यवस्थाओं पर खर्च की गयी है।

(2) कोर्ट नोजल का निर्धारण

लगभग 1 लाख अमरीकी डालर प्राप्त किये जाने तथा इसे 1981 से 1983 तक खर्च किये जाने की जानकारी दी गयी है। विभिन्न प्रकार के मत्स्यन ट्रालरों पर कोर्ट नोजलों के साथ सफल प्रयोग किये गये थे जिससे पता चला कि 32 प्रतिशत से अधिक की दर से इंधन की बचत

हुई है तथा कपलान प्रकार के प्रोपेल्लर के साथ 35.4 प्रतिशत का अतिरिक्त बोल्लाड पुल तथा परम्परागत प्रोपेल्लर के साथ 24.4 का अतिरिक्त बोल्लाड पुल पैदा हुआ। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में कोर्ट नौजलों को अधिष्ठापित करने के लिए ट्रालरों के उपयुक्त नमूनों का मूल्यांकन करने तथा सार्वजनिक तथा प्राइवेट नौकाओं द्वारा यंत्र के प्रयोग का प्रचार करने की इसमें व्यवस्था है।

3. कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय धनराशि सुन्दरवन विकास परियोजना :

वर्ष 1981-82 के दौरान प्रारंभ की गयी परियोजना हेतु मात्स्यकी घटकों के लिए कुल सहायता 92 लाख रुपए होगी। यह परियोजना 5 वर्षों की अवधि में लागू की जायेगी। इस परियोजना में भौंगा और मछली पालन के लिए दो खारे पानी वाले मत्स्य फार्मों का निर्माण और विकास शामिल है। सहायता का प्रयोग तकनीकी पर्यवेक्षण परिसंस्करण और विपणन सुविधायें प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। मात्स्यकी घटकों के लिए पृथक् रूप से इस परियोजना के तहत कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि से प्राप्त सहायता की राशि के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अध्यक्ष जी आज मन्त्री जी मछुवे के जाल में फंस गए हैं। जो प्रश्न पूछा गया था उसमें मछुओं की दशा सुधारने के बारे में भी जानकारी चाही गई थी। जो विदेशी धन या सहायता आई है उसका तजकिरा तो मन्त्री महोदय ने किया है कि किस तरह से उसका प्रयोग किया गया लेकिन मछुओं की दशा सुधारने के लिए इस विदेशी सहायता का किस प्रकार से प्रयोग किया गया और उससे किस सीमा तक मछुओं का हित हुआ है क्या इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है? उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हालत सुधारने

के लिए आपने किस सीमा तक विदेशी सहायता का प्रयोग किया है?

श्री योंगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य का जो सवाल था वह फारेन एड के बारे में था और मैंने उसका जवाब दिया है। अब वे इसके माध्यम से इस बात को जानना चाहते हैं कि कैसे उनकी हालत सुधरती है तो जो डेवलपमेन्ट होता है एकूआ कल्चर का उससे फिश की प्रोडक्शन बढ़ती है और प्रोडक्शन बढ़ने से उनकी आमदनी बढ़ती है। इस योजना के अन्तर्गत उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी बोट्स को मेकेनाइज और मार्टनाइज करने का भी प्रोग्राम है। बोट्स मेकेनाइज करने से प्रोडक्शन बढ़ती है, कंच ज्यादा होता है जिससे आमदनी बढ़ती है और आमदनी होने से उनकी माली हालत सुधरती है जिससे कि उनके बच्चों की शिक्षा और घर की हालत भी बेहतर होती है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अध्यक्ष जी माननीय मन्त्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सारा कुछ बता दिया, फिर भी संतोष नहीं हुआ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अध्यक्ष जी, जो विदेशी सहायता मछली उत्पादन या मछुओं के लिए आई, उसका अधिकांश प्रयोग आपने समुद्र मछली उत्पादन और मछुओं के संबंध में किया। जो देशी मछली है, उस के लिए भी क्या आपने विदेशी संगठनों से मिली हुई सुविधा का प्रयोग किया है? यदि किया है, तो किस सीमा तक किया है?

श्री योंगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलतफहमी में हैं। पांच राज्यों में इनलैंड फिशरीज में प्रयोग किया गया है, जिनमें माननीय सदस्य का भी स्टेट आ जाता है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और वैंस्ट बंगाल—इन पांचों राज्यों में टैंक और पाउण्ड्स को डेवलप करने के लिए, इनलैंड फिशरीज को डेवलप करने के लिए मदद दी गई है। इसके माध्यम से हमने तकरीबन तीस हजार

किसानों को ट्रेनिंग दी है। प्रोडक्शन बढ़ने से हालत ऐसी है कि We are the second largest inland fisheries producing country in the world after China. In the Commonwealth countries, we are Number One.

इन्लैंड फिसरीज में चाइना के बाद हमारा नम्बर आता है, लेकिन कामन वेल्थ कन्ट्रीज में हमारा नम्बर पहला है। 1970-80 में हमारा ग्रोथ रेट 31 परसेंट है, जबकि वर्ल्ड ग्रोथ रेट 13.4 प्रतिशत है। इससे मालूम होता है कि काफी काम हुआ है, लेकिन माननीय सदस्य गलतफहमी में हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य देशी मछली का सवाल कर रहे थे, है तो समुद्री भी देशी मछली, विदेशी वह भी नहीं है।

Adoption of new rural technologies for Integrated rural development programme

*874. SHRI PRATAP BHANU SHARMA : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether his Ministry are considering to consult Khadi and Village Industries Commission and National Research Development Corporation for adopting new rural technologies for Integrated Rural Development Programme in near future ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether Government have drawn some proposals/objectives in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) to (c) The Council for Advancement of Rural Technology (CART) which has recently been set up by this Ministry with the principal objective of development and dissemination of technology for rural areas is in close touch with Khadi and Village Industries Commission and National Research Development Corporation so as to involve them in the intensive promotion of new technologies in the rural areas.

Details of the programmes are yet to be worked out.

श्री भानु प्रताप शर्मा : अध्यक्ष महोदय,

जैसा कि आपको मालूम है, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आई. आर. डी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम हमारी प्रधान मंत्री जी ने निर्धारित किया है। यही वह कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत गरीबों को मदद दी जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन सरकार की ओर से सुलभ कराए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आई. आर. डी. कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिसको के. बी. आई. सी. भी कहते हैं और राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, जिसको एन. आर. डी. सी. कहते हैं इनके माध्यम से विगत चार वर्षों में कितनी योजनाएँ स्वीकृत कारवाई हैं? क्या इसकी जानकारी आपके पास है? इन दोनों संस्थानों का आई. आर. डी. के कार्यक्रम को प्रभावित तरीके से कार्यान्वित करने में क्या योगदान रहा है?

श्री हरिनाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जवाब देही काउन्सिल फार एडवांसमेंट आफ ग्रल टैक्नालाजी की है। कुछ ही महीने पूर्व पहले बैलगाड़ी की गति से नहीं चल रहा था, अब फरवरी के अंत में डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई है, एक उच्चाधिकारी समिति की सिफारिश पर वह इस संबंध में संलग्न हैं कि इन दोनों संस्थाओं को इसमें लाया जाए। ग्रामीण अंचल में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उसमें कितनी जवाब देही है, क्या काम उसका दिया जाएगा, इस संबंध में अभी कोई विवरण तैयार नहीं हो पाया है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि हाल ही में उन के विभाग ने "कार्ट" का गठन किया है। ग्रामीण प्रायोगिकी विकास परिषद के माध्यम से क्या इन योजनाओं को, हर प्रान्त में नई रूरल टैक्नालाजी अपनाने के लिये कोई विशेष प्रयास किये जायेंगे?

श्री-हरिनाथ मिश्र : अवश्य ही हमारा प्रयास होगा कि "कार्ट" के सहयोग से जहाँ तक